

प्रेषक,

राधा रतूडी,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
आई0सी0डी0एस0,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास अनुभाग,

देहरादून: दिनांक 27 जनवरी, 2018

विषय:- वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु प्रथम अनुपूरक के माध्यम से आई0सी0डी0एस0 प्रणाली को सुदृढ़ बनाने और पोषण सुधार परियोजना (90 प्रतिशत के0सहा0) की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 2162-63/अनुपूरक मांग बजट 4602/2017-18 दिनांक 07.11.2017 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के अन्तर्गत बच्चों में कुपोषण की समस्या से निजात दिलाने हेतु स्तनपान कराने वाली माताओं/महिलाओं को स्तनपान के लाभ की जानकारी देने एवं स्तनपान के सम्बन्ध में क्षमता निर्माण प्रशिक्षण तथा स्तनपान के सम्बन्ध में उत्पन्न समस्याओं को हल करने के लिए सामुदायिक स्तर पर एक स्टॉप रिसोर्स सेन्टर की स्थापना एवं जनसमुदाय को जागरूक किये जाने हेतु आई0सी0डी0एस0 प्रणाली को सुदृढ़ बनाने और पोषण सुधार परियोजना आई0सी0डी0एस0 योजना (90 प्रतिशत के0सहा0) हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 के अनुदान संख्या-15 के लेखाशीर्षक-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-102-बाल कल्याण-01-केन्द्र द्वारा पुरोनिर्धारित-0131-आई0सी0डी0एस0 प्रणाली को सुदृढ़ बनाने और पोषण सुधार परियोजना आई0सी0डी0एस0 योजना (90 प्रतिशत के0सहा0) के मानक मद-42-अन्य व्यय में रू0 3001 हजार प्रथम अनुपूरक के माध्यम से आहरित करने हेतु वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-610/3(150)/XXVII(1)/2017 दिनांक 30.06.2017 एवं शासनादेश संख्या-1362/3(150)/XXVII(1)/2017 दिनांक 27.12.2017 की निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निर्वतन पर रखते हुए व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. योजनान्तर्गत धनराशि का उपयोग, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार (विश्व बैंक ईकाई) के आदेश संख्या-F.No.WBP-14/1/2017-2017-WBP दिनांक 07.03.2017 के प्रस्तर-2 का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।
2. अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय न किया जाय और इस हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 की देनदारी अगले वित्तीय के लिये कदापि न छोड़ी जाय।
3. कृपया यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि आप अपने अधिनस्थ आहरण वितरण अधिकारी को भी साफ्टवेयर के माध्यम से ही बजट जारी करते हुए आवंटन किया जाय।
4. मितव्ययता के सम्बन्ध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों/नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
5. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय लेखाशीर्षक 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-102-बाल कल्याण-01-केन्द्र द्वारा पुरोनिर्धारित-0131-आई0सी0डी0एस0 प्रणाली को सुदृढ़ बनाने और पोषण सुधार परियोजना आई0सी0डी0एस0 योजना (90 प्रतिशत के0सहा0) के मानक मद-42-अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

budget 2017



2- यह आदेश शासनादेश संख्या 183/XXVII-1/2012 दिनांक 28-3-2012 द्वारा विहित व्यवस्था के कम में WWW.cts.uk.gov.in से सॉफ्टवेयर के माध्यम से उपरोक्त स्वीकृति/बजट आवंटन हेतु निर्गत विशिष्ट नम्बर/अलॉटमेंट आई0डी0 संख्या S1801150347 दिनांक 23-01-2018 के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीया,

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव

संख्या- 120 /XVII(4)/2018-2(17)/17 तददिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड ओबेराय बिल्डिंग, देहरादून।
2. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. समस्त कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. बजट, राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
6. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-1/5/नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
7. वित्त नियंत्रक, आई0सी0डी0एस0, उत्तराखण्ड देहरादून।
8. एकीकृत भुगतान एवं लेखा कार्यालय, (साईबर ट्रेजरी) 23 लक्ष्मी रोड, डालनवाला देहरादून।
9. एन0आई0सी0, सचिवालय देहरादून।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(लक्ष्मण सिंह)

संयुक्त सचिव